कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2412/11–सी–FP/UP/Approach/49282/2020, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 17 ,2022

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद अमरोहा में नहटौर–नूरपुर–अमरोहा–जोया मार्ग (SH-77) किमी0 53 (चैनेज 52.421) की बांयी पटरी के मोहल्ला नौगजा अमरोहा की खसरा/गाटा सं 2958/1.2 पार्ट में भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, मेरठ द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.037025 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UP/Approach/49282/2020)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/186/2021/एफ0सी0/543, दिनांक–17.11.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक–2332/14–1 दिनांक 20.01.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2412/11–सी FP/UP/Approach/49282/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
4– प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, आबू का मकबरा केसरगंज, मेरठ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c